प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार द्वारा 1972–73 से शहरों, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने बावत् भवन निर्माण हेतु अनुदान सहायता योजना का कियान्वयन किया गया है । कामकाजी महिला हॉस्टल योजना का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक प्रतिबध्दताओं के कारण अपने परिवार से दूर रहने वाले कामकाजी महिलाओं जिसमें अकेली, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं शादीशुदा परन्तु अपने पति से दूर रहती हो तथा मां के साथ 18 वर्ष तक की लडकी एवं 05 वर्ष तक के लडके रह सकते है ,के लिए सुरक्षित और किफायती आवास की उपलब्धता को बढावा देना है । तत्संबंध में कामकाजी महिला आवास गृह (छात्रावास) योजना के रूप में राज्यों एवं कियान्वयन एजेन्सियों के माध्यम से संचालित किया जाना है । जिसमें केन्द्रांश, राज्यांश एवं कियान्वयन एजेन्सी का अनुदान अनुपात 60:15:25 का होगा । इस हेतु रायगढ जिले अंतर्गत स्वयं सेवी संगठन/संस्था/एजेंसी से दिनांक 03.10.2017 तक समय शाम 05:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग रायगढ में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए कार्यालयीन सूचना पटल एवं रायगढ जिले के वेबसाईड WWW.raigarh.nic.in या cg.nic.in/raigarh पर देखी जा सकती है ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला रायगढ (छ0ग0)

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला–रायगढ (छ0ग0)
दूरभाष एवं फैक्स कमांक –07762–225429, ई–मेल आईडी wcdraigarh@gmail.com

क्रमांक/676/मबावि/नवाबिहान/2017–18 रायगढ, दिनांक 23/09/2017

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग नया रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, रायगढ की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, रायगढ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त सूचना रायगढ जिले के किन्ही 05 स्थानीय सामाचर पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करना सुनिश्चित करें ।
4. जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी रायगढ की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त विज्ञापन रायगढ जिले के वेबसाईड WWW.raigarh.nic.in या cg.nic.in/raigarh पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला रायगढ (छ0ग0)